



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 791 / अका. / सम्बद्धता / 2019

रायपुर, दिनांक 31 / 07 / 2019

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2019 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2019 में अनुमोदनानुसार, नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अमनपुर जिला- रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2019-20 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	नवीन कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	बी.पी.ई. (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) (प्रथम वर्ष)	40	2019-20

शर्त :-

- महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक एफ 17-14/2019/38-2/ दिनांक 12.06.2019 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
- परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति शीघ्र पूर्ण करें।  
(1) बी.पी.ई. प्रथम वर्ष हेतु शिक्षक नियुक्ति किये जाये।

आदेशानुसार,

31.7.19  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 792 / अका. / सम्बद्धता / 2019

रायपुर, दिनांक 31 / 07 / 2019

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, ✓
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

TEG...  
20.08.19

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)